न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्रीनिधि बी टी (आई0ए0एस0)**
जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर 11/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/30**

उनवान प्रकरण

रामश्री पत्नी श्री अन्तराम जाति गडरिया निवासी सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर
रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 14.2.2024
मु0नं0 220/2024 सरकार बनाम रामश्री
धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालय तहसीलदार सैपऊ

उपस्थिति :–
अपीलान्ट की ओर से :– श्री सुरेशचन्द कटारा एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 30.9.2024**

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को ग्राम सैपऊ नम्बर–1 तहसील सैपऊ स्थित आराजी खसरा नम्बर 3033 रकवा 0.5058 हेक्टेयर किस्म नहरी दोयम सिवायचक पर सम्बत 2080 में रवी की फसल सरसों बोकर अतिकमी मानते हुए बेदखल किये जाने तथा 300/–रू0 शास्ति कायम करने का आदेश दिनांक 14.02.2024 पारित किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों तथा विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा टाइप शुदा आदेश में केवल खाली स्थान भर कर आदेश मनमाने तरीके से पारित किया है। अतः आदेश विधिवत नहीं होने से काविल निरस्ती है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त कार्यवाही एक ही दिन में की है अपीलान्ट का जबाव दिनांक 14.02.2024 को पेश किया और आदेश भी दिनांक 14.02.2024 को पारित किया। रिपोर्ट की पुष्टि के लिये पटवारी हल्का का वयान तक नहीं लिया है जबकि पटवारी हल्का का वयान लिया जाना आवश्यक था। अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत प्रस्तुत करने के लिये कोई अवसर नहीं दिया न अधीनस्थ

न्यायालय ने कोई जांच नहीं की। अतः सुनवाई का अवसर न देकर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है आदेश काविल निरस्ती है। आवंटी का कब्जा पुराना है और अपीलान्ट विधवा भूमिहीन सदभावी कृषक है आय का कोई साधन नहीं है अपने परिवार का पालन पोषण खेती करके करती है अतः नियमन योग्य भूमि है। दिनांक 14.02.2024 को आदेश पारित नहीं किया था बाद में आदेश पारित किया है और तहसीलदार सैपऊ का स्थानान्तरण हो गया था इसलिये आदेश बाद दिनांक डाल कर बैक डेट दिया गया है। पटवारी हल्का ने दिनांक 25.03.2024 को शास्ति राशि मांगने पर ज्ञात हुआ इससे पूर्व आदेश की कोई जानाकरी नहीं थी अतः आदेश के ज्ञान से अपील अंदर म्याद पेश है। धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र देरी को क्षमा करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा टाइप शुदा आदेश में केवल खाली स्थान भर कर आदेश मनमाने तरीके से पारित किया है। आदेश विधिवत नहीं होने से काविल निरस्ती है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त कार्यवाही एक ही दिन में की है अपीलान्ट का जबाव दिनांक 14.02.2024 को पेश किया और आदेश भी दिनांक 14.02.2024 को पारित किया। रिपोर्ट की पुष्टि के लिये पटवारी हल्का का वयान तक नही लिया है जबकि पटवारी हल्का का वयान लिया जाना आवश्यक था। अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत प्रस्तुत करने के लिये कोई अवसर नहीं दिया सुनवाई का अवसर न देकर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रृटि की है आदेश काविल निरस्ती है।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिकमी है। पटवारी द्वारा अतिकमी के विरूद्व की गई रिपोर्ट की पुष्टि होती है। अतिकमी का अतिकमण सिद्व होता है। चूंकि आराजी सरकारी सिवायचक है। अतिकमी उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील अपीलान्ट् खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैपऊ की आदेशिक दिनांक 14.2.2024 में अपीलान्ट को उपस्थित/अनुपस्थित, सबूत पेश

किये/नहीं किये लिखा है इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलान्ट उपस्थित हुआ अथवा अनुपस्थित रहा। अपीलान्ट ने जबाव, सबूत साक्ष्य पेश किये या नहीं किये स्पष्ट नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैपऊ ने जो आदेश पारित किया है वह आदेश छपे हुए प्रपत्र में खाली स्थानो पर पेन से कथित अतिक्रमण का विवरण अंकित किया है, यह विवके पूर्ण आदेश न होकर मात्र फार्म भरने जैसा है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में अपीलान्ट ने जो जबाव प्रस्तुत किया है उसका भी कोई विवेचन अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं है। अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्य सरसरी तौर पर करना अनुचित है। अपीलाधीन आदेश विवेक पूर्ण आदेश न होने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.2.2024 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार सैपऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई कर स्पीकिंग आदेश पारित करें तथा भविष्य में इस तरह के छपे हुए प्रपत्र पर आदेश पारित नहीं करें। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर
धौलपुर